राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

नियम–पुस्तिका

संविदा स्टॉफ नर्स के चयन के लिये

(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)

(2026-2027)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.),मध्यप्रदेश के अन्तर्गत **संविदा स्टॉफ नर्स के** रिक्त पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। **संविदा स्टॉफ नर्स** का अनुबंध 31 मार्च 2027 तक के लिए होगा ।

संविदा स्टॉफ नर्स के 301 पद का विवरण :–

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछडावर्ग		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यार्थियों है आरक्षित पदों की संख्या			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि)	बहरे कम सुनने वाले)	(लोको मीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी)	(ऑटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निग डिसेबिलेटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता)
संविदा स्टॉफ नर्स	301	53	29	39	21	30	18	52	29	20	10	4	4	5	5

- निशक्तः के लिय **संविदा स्टॉफ नर्स** के रिक्तियों में से पद निःशक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तः इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों ,लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिऐ कृपया करे **www.mponline.gov.in** अथवा **http://iforms.mponline.gov.in** पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	20/11/2026
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	28/11/2026
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	05/12/2026
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	06/12/2026

1. **शैक्षणिक और अन्य पात्रताऍः–**

1. अनिवार्य रूप से (फिजिक्स, केमेस्ट्री,बॉयलॉजी) विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्वति से 12 वी कक्षा उत्तीर्ण ।
2. मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन कौंसिल /भारतीय उपचर्या परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्र से 4 वर्षीय बी.एस.सी.नर्सिग प्रशिक्षण अथवा जनरल नर्सिग प्रशिक्षण उपरान्त दो वर्षीय पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिग पाठ्क्रम उत्तीर्ण होना चाहिये ।
3. मध्यप्रदेश नर्सेस़ रजिस्ट्रेशन कांउसलिंग में जीवित वैध पंजीयन होना चाहिए।

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें:–

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची।
- कंडिका 2 अनुसार **शैक्षणिक और अन्य पात्रताऐं अनुसार** परीक्षा की अंकसूची एवं जीवित वैध पंजीयन आवश्यक।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07–11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नही किया जावेगा।

नोटः– आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारियों का स्वंय परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रृटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 शैक्षणिक योग्यता की गणना आवेदन भरने की प्रारम्भिक तिथि तक मानी जाएगी।

3 *आयु सीमाः– 21–40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2026)
अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 –2019 एवं समय –समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेगें। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ,निशक्तःजन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरणः– आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नही किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीद्वारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश के निवासी है।

4. वेतनः–
चयन के वक्त, उम्मीदवार को **संविदा स्टॉफ नर्स** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 28,700/–** रूपये दिया जायेगा।

5. आरक्षण नियमः–

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीद्वारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होगें।

6. आवेदन प्रक्रियाः–

6.1 उम्मीद्वारों को **05/12/2026** तक या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशो और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित)] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये है और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना हेागा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स ''सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है'' आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.8 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद,जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडडब्लयूएस पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नही किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नही होगा।

6.9 विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगाः–

(क) बहरे कम सुनने वाले।

(ख) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी।

(ग) ऑटिज्म बौद्विक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलेटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।

(6.9) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. चयन प्रक्रियाः–

7.1 **संविदा स्टॉफ नर्स** के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा(ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।

7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।

7.3 परीक्षा केन्द्र /शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीद्वारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

7.4 उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पसंद प्रदान कर सकते है। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगाः–

(क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीद्वारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताऐं।

(ख) प्राथमिकताऐं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद एम.पी. ऑनलाईन द्वारा केन्द्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

7.5 ई–एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन की अधिकारिक वेबसाईट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड **http:// www.mponline.gov.in** एवं **http://iforms.mponline.gov.in** पर परीक्षा तिथि के सात (7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी.ऑनलाईन एवं एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाईट पर होगी।

7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू **(MCQ)** प्रश्न शामिल होगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नही होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम् उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and** ST मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।

7.8 उपरोक्त मापदण्डो के अनुसार यदि उम्मीद्वारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगें। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगीः–

(i) आयु में बड़े उम्मीद्वार को वरीयता दी जाएगी।

(ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर **संविदा स्टॉफ नर्स** के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नही है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है , तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीद्वारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।

7.10 उम्मीद्वार को नियमों और चयन मापदण्डो का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिशिचित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीद्वार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीद्वार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीद्वारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

7.11 निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकारः–

1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
2. प्रतिरूपण किया जाना।
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लघंन किया जाना।
10. पुरूष अभ्यर्थी /महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
11. अभ्यर्थी जिसके द्वारा उसके ''विरुद्ध' अपराधिक मामला लंबित होने की जानकारी छुपाई गई हो अथवा जिसे किसी अपराधिक मामले में दंडित किया गया हो।

7.12 यदि किसी अभ्यर्थी की सेवाएँ पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समाप्त की गई हों, तो वह अभ्यर्थी तत्समय प्रचलित मानव संसाधन मैनुअल में वर्णित अवधि के लिए चयन प्रक्रिया में

हिस्सा लेने का अधिकारी नहीं होगा अर्थात निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरांत ही चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का पात्र होगा।

7.13 कोविड–19 अन्तर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले **स्टॉफ नर्स** जिसने न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया हो उसे **संविदा स्टॉफ नर्स** की भर्ती प्रकिया में 10 प्रतिशत अधिभार अंक (Weightage) प्राप्त करने की पात्रता होगी। (एनएचएम के परिपत्र क्रमांक 8671 दिनांक 24/5/2021 एवं 9423 दिनांक 10/6/2021 के परिपालन में **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार किये जावेगें)**

7.14 जिन अभ्यर्थियों द्वारा परिपत्र क्रमांक 8671 दिनांक 24/5/2021 एवं 9423 दिनांक 10/6/2021 के आधार पर कोविड–19 अन्तर्गत अनुभव प्रमाण पत्र केवल **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित को ही मान्य किया जावेगा।** अन्य संस्थाओं (जैसे अधिष्ठाता चिकित्सा महाविघालय, विकासखण्ड , निजी संस्थाओं आदि) के हस्ताक्षरित को मान्य नही किया जावेगा ।

7.15 अभ्यार्थियों द्वारा अपलोड किये गये कोविड –19 अनुभव प्रमाण पत्र का परिक्षण एमपी ऑनलाइन के प्रतिनिधि एवं एनएचएम के सयुंक्त रूप से किया जावेगा।

8. स्थान आवंटनः–

8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर ''कार्यस्थल'' आवंटन किया जाएगा।

8.2 उम्मीद्वार के चयन सूची जारी होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी,** पद के लिए उम्मीद्वार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नही कर सकता है। यदि उसकी उम्मीद्वारी का पता नही लगाया है तो उसकी उम्मीद्वारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीद्वारों को सहमत होना होगा कि ''मै पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण ,केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे है। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रकिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हू।

9. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाः–

(क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।

(ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रकिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।

(ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीद्वारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नही है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीद्वारो को अयोग्य माना जाएगा।

(ड़) जो उम्मीद्वार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नही करेगें, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नही किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीद्वार को प्रदान किया जाएगा।

10. अन्य निर्देश और दिशा निर्देशः–

10.1 चयनित उम्मीद्वारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः–

(क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीद्वारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।

(ख) नवीनतम् पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।

(ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।

(घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।

(ड़) नवीनतम् चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र(जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

(च) **संविदा स्टॉफ नर्स** के चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व–सत्यापित प्रतिलिपि

(छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को ''निरर्हता'' माना जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(झ) गर्भवती उम्मीद्वार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा,ओर उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(अः) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07–11/2019/आप्र/ 1,दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और **संविदा स्टॉफ नर्स** के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के प्रचलित मानव संसाधन मैनुअल–2025 के अनुरूप होंगी।

12. चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकारः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

13 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत **संविदा स्टॉफ नर्स** की नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन पूर्व में जारी विभिन्न सूचनाओं, प्रकाशनों, विज्ञापनों को अधिक्रमित करते हुए हुए जारी किया जा रहा है, अतः पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत **संविदा स्टॉफ नर्स** की नियुक्ति हेतु जारी विभिन्न सूचनाओं, प्रकाशनों, विज्ञापनों के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु किसी भी प्रकार की प्रार्थना/आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी और ना ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उक्त प्रार्थना/आवेदन पर विचार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

परिभाषाएँः–

14. '' चयन परीक्षा'' का अर्थ **संविदा स्टॉफ नर्स** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

परिशिष्ट -1

स्टॉफ नर्स कार्य दायित्व

संस्था स्तर पर निम्ननुसार 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाय प्रदाय किया जाना।

1. ***गर्भावस्था एवं प्रसव देखभाल***
    - *प्रसवपूर्व देखभाल* (Antenatal Care)
    - *प्रसवकालीन देखभाल* (Intrapartum Care)
    - *प्रसवोत्तर निगरानी* (Postnatal Tracking)
    - ANMOL *पंजीयन सुनिश्चित करना*
    - HRPW *पहचान*
2. ***नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ***
    - *नवजात शिशु देखभाल*
    - *टीकाकरण*
    - *वृद्धि, विकास एवं कम वजन के बच्चो की पहचान एवं निगरानी*
3. ***बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाएँ***
    - *पोषण सहयोग*
    - *कमी/अभाव की स्क्रीनिंग*
    - *किशोर परामर्श*
4. ***परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ***
    - *सुरक्षित गर्भनिरोधक विकल्पों की उपलब्धता*
    - *परामर्श सेवाएँ*
5. ***संचारी रोगों का प्रबंधन***
    - *राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत निगरानी एवं उपचार*
6. ***सामान्य संचारी रोग एवं बाह्य रोगी देखभाल***
    - *तीव्र साधारण बीमारियों एवं छोटे रोगों का प्रथम स्तर उपचार*
7. ***असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग, रोकथाम एवं प्रबंधन***
    - *मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं सामान्य कैंसर की नियमित जाँच*
    - *दीर्घकालिक संचारी रोगों (टीबी, कुष्ठ) का प्रबंधन*
8. ***नेत्र एवं ईएनटी (कान, नाक, गला) समस्याओं की देखभाल***
    - *प्राथमिक स्क्रीनिंग एवं उपचार*
9. ***मूलभूत दंत स्वास्थ्य सेवाएँ***
    - *आवश्यक दंत परीक्षण*
    - *निवारक स्वच्छता परामर्श*

10. ***वरिष्ठ नागरिक एवं उपशामक स्वास्थ्य सेवाएँ***
    - *वृद्धजन हेतु सहयोगी सेवाएँ*
    - *असाध्य रोगियों के लिए आरामदायक देखभाल*
11. ***आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ***
    - *ट्रायेज*
    - *स्थिरीकरण एवं प्रारंभिक प्रबंधन*
12. ***मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन***
    - *प्रारंभिक पहचान*
    - *मनोवैज्ञानिक एवं मनोरोग परामर्श*

1. ***ओ.पी.डी., एवं सामान्य क्लिनिकल दायित्व***

- *निर्धारित ओ.पी.डी. समयानुसार उपस्थित होकर दैनिक उपस्थिति सार्थक (***Sarthak)** *ऐप पर दर्ज करना।*
- *आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीय व राज्य प्रोटोकॉल एवं मानकों के अनुसार प्रदाय सुनिश्चित करना।*
- *ओ.पी.डी. में आने वाले समस्त मरीजों/लाभार्थियों के वाइटल्स (तापमान, नाड़ी, रक्तचाप, श्वसन दर,* **SpO2** *आदि) लेना, प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग, रोग की पहचान तथा आवश्यकतानुसार प्राथमिक उपचार एवं प्रबंधन करना।*
- *चिकित्सक द्वारा निर्देशित जांच अनुसार सैम्पल कलेक्शन तथा निर्धारित पैथोलॉजिकल व प्वाइंट ऑफ केयर (***PoC)** *जांचें संपादित करना।*
- *उपचार प्राप्त कर रहे एवं रेफर किए गए मरीजों का नियमित फॉलोअप, उपचार अनुपालन (***Treatment Adherence)** *एवं आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श सुनिश्चित करना।*
- *संस्था प्रभारी द्वारा आवंटित चिकित्सकीय एवं प्रबंधकीय दायित्वों का समय-सीमा में निर्वहन करना तथा विभागीय प्रशिक्षणों में सहभागिता कर सीखे गए कौशल का क्रियान्वयन करना।*
- *निश्चित दिवस स्वास्थ्य सेवाओ एवं स्वास्थ्य जागरूकता दिवासो पर आने वाले हितग्राहियो कि काउन्सिलिग करना ।*

2. *मातृ, नवजात, शिशु, किशोर, प्रजनन एवं परिवार नियोजन (*RMNCH+A) *सेवाएं*

- *गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच (***ANC - Hb, Urine, BP, Abdominal Exam)** *करना एवं आवश्यक प्रविष्टियां* **MCP** *कार्ड में दर्ज करना; आयरन (***IFA)** *एवं कैल्शियम की गोलियों का वितरण व अनुश्रवण करना।*
- *हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (***HRP)** *तथा खतरे के लक्षणों (गंभीर एनीमिया, प्री-एक्लेमप्सिया, ब्लीडिंग आदि) की शीघ्र पहचान, प्राथमिक स्थिरीकरण तथा* **108** *जननी एक्सप्रेस के माध्यम से त्वरित रेफरल।*
- *मातृ, नवजात, शिशु, किशोर, प्रजनन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (पीपीआईयूसीडी/अंतरा/छाया/नसबंदी) संबंधी परामर्श एवं सेवाएं प्रदान करना।*

3. ***नियमित टीकाकरण एवं कोल्ड चेन प्रबंधन***

- *जन्म के समय लगने वाले टीके (***BCG, OPV-0, Hepatitis-B Birth Dose***) एवं नियमित टीकाकरण तालिका के अनुसार शिशुओं व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण की निरंतर निगरानी करना।*
- ***U-WIN** पोर्टल पर लाभार्थियों का शत-प्रतिशत डिजिटल पंजीयन एवं टीकाकरण की वास्तविक समय (**Real-time**) प्रविष्टि की निरंतर निगरानी करना।*
- *कोल्ड चेन उपकरणों (**ILR**, डीप फ्रीज़र आदि) के तापमान का प्रतिदिन दो बार रिकॉर्ड संधारित करना तथा **VVM** व एक्सपायरी की निरंतर निगरानी करना।*
- *टीकाकरण उपरांत होने वाले प्रतिकूल प्रभावों (**AEFI**) की तत्काल पहचान, प्राथमिक प्रबंधन एवं पोर्टल/उच्चाधिकारियों को त्वरित रिपोर्टिंग करना।*

4. ***गैर-संचारी रोग (NCD) एवं हेल्थ वेलनेस गतिविधियां***

- ***30** वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की **5** प्रमुख गैर-संचारी रोगों (हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर) हेतु सी-बॅक (**CBAC**) फॉर्म के आधार पर प्राथमिक स्क्रीनिंग व निगरानी करना।*
- *पात्र हितग्राहियों का **CPHC-NCD** पोर्टल/ऐप पर शत-प्रतिशत डिजिटल पंजीयन एवं डिजिटल हेल्थ कार्ड / आभा आईडी (**ABHA ID**) जनरेट कर उपलब्ध कराना।*
- *मेडिकल ऑफिसर के साथ समन्वय कर चिन्हित गैर-संचारी रोग के मरीजों को नियमित दवाओं का वितरण (**Drug Dispensation**), निरंतर रक्तचाप/ब्लड शुगर मॉनिटरिंग तथा जटिलताओं की समय पर पहचान कर रेफर करना।*
- *जीवनशैली परिवर्तन, आहार परामर्श तथा वेलनेस गतिविधियों (जैसे- योग, पोषण दिवस, स्वास्थ्य शिविर) का संचालन व सहयोग करना।*

5. ***आपातकालीन, प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण (IPC) एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण***

- *आई.पी.डी. में भर्ती मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग, वाइटल्स चार्टिंग, नर्सिंग केयर तथा चिकित्सक द्वारा निर्देशित दवाओं/इंजेक्शन/ड्रिप का समय पर प्रशासन करना।*
- *संस्था में इमरजेंसी ट्रे एवं क्रैश कार्ट (**Crash Cart**) को जीवनरक्षक दवाओं (**Adrenaline, Atropine, Magnesium Sulfate, Oxytocin** आदि) के साथ क्रियाशील उपलब्धता सुनिश्चित करना ।*
- *इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल (हाथ धोना, पीपीई का उपयोग, ऑटोक्लेविंग, स्टरलाइजेशन) का कड़ाई से पालन करना ।*
- *बायो-मेडिकल वेस्ट (**BMW**) नियमावली अनुसार कचरे का रंग-आधारित डिब्बों (पीला, लाल, नीला, सफेद) में सही पृथक्करण व सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करना।*
- *संस्था में कायाकल्प,एवं **NQAS** मानकों के अनुरूप मानक संचालन प्रक्रियाओं (**SOPs**) का क्रियान्वयन एवं रिकॉर्ड संधारण करना।*

6. ***रेफरल प्रबंधन, निरंतर देखभाल एवं टेली-कंसल्टेशन (e-Sanjeevani)***

- *मरीजों की आवश्यकतानुसार उन्हें उच्चतर स्वास्थ्य संस्थान (**FRU / CHC / DH**) हेतु समय पर रेफर करना तथा रेफरल सेवाओं में समन्वय व देखभाल की निरंतरता (**Continuity of Care**) सुनिश्चित करना।*

- *रेफरल स्लिप की विधिवत प्रविष्टि, रेफरल संस्था व* **108/102** *कॉल सेंटर को पूर्व सूचना/टेलीफोनिक अलर्ट प्रेषित करना एवं मरीज को आवश्यक फर्स्ट एड (***IV Line,** *जीवनरक्षक दवाएं आदि) के साथ सुरक्षित परिवहन कराना।*
- *आवश्यकतानुसार ई-संजीवनी / टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी / विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त कर मरीजों के उपचार एवं निरंतर देखभाल को सुदृढ़ बनाना।*

7. *दवा, लॉजिस्टिक्स एवं इन्वेंटरी प्रबंधन*

- *ओ.पी.डी. में आवश्यक औषधियों, सर्जिकल सामग्री व जांच किट्स का स्टॉक संधारित करना तथा* **e-Aushadhi / EMMS** *पोर्टल के माध्यम से समय पर इंडेंट व उपभोग दर्ज करना।*
- *चिकित्सा अधिकारी द्वारा ओ.पी.डी. के अंतर्गत लिखी गई दवाईयों का वितरण करना।*
- *एक्सपायरी से पहले दवाओं के उपयोग (***FIFO / LIFO** *पद्धति) का कड़ाई से पालन करना तथा नियर-एक्सपायरी दवाओं की सूचना पूर्व में ही प्रभारी को देना।*
- *ड्रग स्टॉर मे ई.डी.एल. में दवाईयों कि उपलब्धता सुनिश्चित करना।*

8. HOPE - *गृह आधारित वृद्धजन एवं पैलिएटिव केयर (*Home-Based Elderly & Palliative Care)

- **HOPE** *प्रोटोकॉल के अनुसार फील्ड टीम के साथ समन्वय स्थापित कर गृह भ्रमण (***Home Visits)** *सुनिश्चित करना।*
- *मरीजों को गृह स्तर पर व्यक्तिगत नर्सिंग केयर प्रदान करना; जैसे- बेडसोर (***Bedsore)** *की ड्रेसिंग व रोकथाम, ओरल हाइजीन, कैथेटर केयर, राइल्स ट्यूब फीडिंग एवं दर्द प्रबंधन (***Pain Management)** *में सहयोग देना।*

9. *स्वास्थ्य संवर्धन, डेटा संधारण, रिपोर्टिंग एवं समुदाय समन्वय*

- *स्वास्थ्य संवर्धन, रोगों की रोकथाम, पोषण, स्वच्छता, स्वस्थ जीवनशैली एवं जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य व्यवहारों के संबंध में समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श प्रदान करना।*
- *कार्यक्षेत्र की जनसंख्या आधारित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी/डेटा का संकलन, संधारण, विश्लेषण एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग (***ANMOL / RCH / HMIS)** *तथा आवश्यकतानुसार माइक्रो-प्लान तैयार करना।*
- *आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रभावी संचालन हेतु आशा, ए.एन.एम. एवं अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ सुदृढ़ समन्वय स्थापित करना तथा समुदाय आधारित स्वास्थ्य गतिविधियों एवं सेवाओं की निगरानी करना।*
- *संस्था के समस्त अनिवार्य रजिस्टरों का दैनिक/मासिक संधारण तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी / नागरिक चार्टर अंतर्गत समयबद्ध सेवाएं प्रदाय करना।*
- *कोल्ड चेन रखरखाव तथा उसके समस्त कार्यो का निर्वहन करना*

उच्च संस्था एवं प्रभारी द्वारा आवंटित चिकित्सकीय एवं प्रबंधकीय दायित्वों का समय-सीमा में निर्वहन करना तथा विभागीय प्रशिक्षणों में सहभागिता कर सीखे गए कौशल का क्रियान्वयन करना।

❖ ***साथ ही वरिष्ठ कार्यालय एवं अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए समस्त कार्यों एवं निर्देशों का समय सीमा में पालन करना।***